हरजोत सिंह **बनाम** अमनदीप सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 30 सन् 2022

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25.07.2022	अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी के द्वारा चक 4 एफ एफ (ए) की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 96/96 के मुरब्बा नम्बर 40, 41, 64/24, 64/33 की 2.544 हेक्टैयर भूमि हेक्टैयर भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 1.272 हेक्टैयर यानि चक 4 एफ एफ ए के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 8/2 के 0.064 हेक्टैयर, किला नम्बर 13/2 के 0.128 हेक्टैयर, एंव मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 4,7,14 सालम–सालम, किला नम्बर 17 में 0.130 हेक्टैयर, पश्चिमी नहरी भूमि के संबध में अप्रार्थीगण के विरूद्व ताफैसला वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया गया है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होता है। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested